FORM N0. III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत संभागीय आयुक्त मुकाम अजमेर

प्यारेलाल बनाम लक्ष्मीकान्त व अन्य

किस्म मुकदमा/अपील/एल0आर0–90(बी)/नं0/190/ सन् 2019 जिला अजमेर

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपी.अभि. शिवप्रकाश चौधरी रेस्पो. –01 अधि. शिशिर विजयवर्गीय	
08.08.2019	पत्रावली बाद जांच पेश हुई। अपीलांट के अभिभाषक श्री शिवप्रकाश चौधरी अनुपस्थित है। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के अभिभाषक उपस्थित। अपीलान्ट अभिभाषक को बार–बार आवाज दिलाई गई किन्तु वह उपस्थित नही हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के अधिवक्ता का कथन है कि अपील को अदम हाजरी व अदम पैरवी मे निरस्त नही किया जावे अपितु उन्हे अपील के तथ्यो बाबत वस्तुस्थिति पर सुना जाकर निर्णीत किया जावें। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के अधिवक्ता को एक तरफा सुना गया उनका कथन है कि प्रकरण मे उनके द्वारा फर्द दस्तावेज फार्म नं. 03 के संलग्न प्रस्तुत माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर मे विचाराधिन निगरानी ले0रे0 एक्ट संख्या 675/2017 जिला अजमेर बउनवान प्यारेलाल बनाम लक्ष्मीकान्त व अन्य का अवलोकन फरमावें जिससे यह स्पष्ट होगा की वर्तमान अपीलार्थी प्यारेलाल द्वारा ही उक्त निगरानी वर्तमान अपील मे संस्थित प्रत्यर्थी पक्षकरान संख्या 01 लगायत 06 को माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर मे विचाराधीन निगरानी 675/2017 मे गैर निगरानीकर्ता संख्या 01 लगायत 06 संयोजित करते हुए वर्तमान अपील मे आक्षेपित निर्णय दिनांक 29.04.2002 के विरूद्ध निगरानी दायर की है जो वर्तमान मे विचाराधीन है। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि नियमानुसार समान पक्षकार, समान आक्षेपित आदेश एवं समान अनुतोष के आधार पर दो भिन्न न्यायालयो मे कोई भी प्रकरण चलने योग्य नही है अतः ऐसी स्थिति मे माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर मे विचाराधीन निगरानी ले0रे0 एक्ट संख्या 675/2017 जिला अजमेर बउनवान प्यारेलाल बनाम लक्ष्मीकान्त व अन्य के विचाराधीन रहते हुए प्रस्तुत अपील न्यायालय हाजा मे चलने योग्य नही है। अतः अपीलार्थी की अपील को इसी आधार पर एवं इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावें। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के अधिवक्ता की बहस पर मनन व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर हो। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के द्वारा फर्द दस्तावेज फार्म नं. 03 के संलग्न प्रस्तुत माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर मे विचाराधिन निगरानी ले0रे0 एक्ट संख्या 675/2017 जिला अजमेर बउनवान प्यारेलाल बनाम लक्ष्मीकान्त व अन्य तथा अपील मीमो के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान अपीलार्थी प्यारेलाल द्वारा ही	
संभागीय आयुक्त अजमेर		

Scanned by CamScanner

(2019/20190)

अपील एल.आर.एक्ट–90(बी) /2019 प्यारेलाल बनाम लक्ष्मीकान्त व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2019/ अपी.अभि. शिवप्रकाश चौधरी रेस्पो. –01 अधि. शिशिर विजयवर्गीय	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	वर्तमान अपील मे संस्थित प्रत्यर्थी पक्षकरान संख्या 01 लगायत 06 को माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर मे विचाराधीन निगरानी 675/2017 मे गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 01 लगायत 06 संयोजित करते हुए वर्तमान अपील मे आक्षेपित निर्णय दिनांक 29.04.2002 के विरूद्ध निगरानी दायर की है जो वर्तमान मे विचाराधीन है। अतः बाद अवलोकन एवं मनन हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि नियमानुसार समान पक्षकार, समान आक्षेपित आदेश एवं समान अनुतोष के आधार पर दो भिन्न न्यायालयो मे कोई भी प्रकरण एक साथ चलने योग्य नही है अतएव ऐसी स्थिति मे माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर मे विचाराधीन निगरानी ले0रे0 एक्ट संख्या 675/2017 जिला अजमेर बउनवान प्यारेलाल बनाम लक्ष्मीकान्त व अन्य के विचाराधीन रहते हुए प्रस्तुत अपील न्यायालय हाजा मे चलने योग्य नही होने के कारण अपीलार्थी की अपील को इसी आधार पर एवं इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। संभागीय आयुक्त अजमेर	

REDMI NOTE 7 PRO
AI DUAL CAMERA

Scanned by CamScanner